

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

उपखण्ड नावा जिला डी.डवाना - मुयामन

विषय:- राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।
द्वारा:- पटवारी पटवार हल्का लिचावा

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैंजिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्धप्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का <u>लिचावा</u> राजस्व ग्राम <u>लिचावा</u> खाता संख्या <u>233</u> खसरा संख्या <u>814, 815, 819, 820</u> रकबा हेक्टेयर में <u>8.59</u>	<u>ओमप्रकाश पुत्र पह्लाड</u> <u>जाति मेधवाल</u> <u>निवासी लिचावा</u>	<u>पुकाश पुत्र पह्लाड</u> <u>जाति मेधवाल</u> <u>निवासी लिचावा</u>

संलग्न दस्तावेज(संलग्न दस्तावेज पर टिक का निषान लगाए)-

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंज्रावली
5. प्रार्थी द्वारा वंज्रावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर



23/12/24

हल्का पटवारी व भू.अ.नि.की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुषंषा(सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

[Signature] उपखण्ड अधिकारी
23.12.24
 भू.अ.निरीक्षक

[Signature] पटवारी
 हस्ताक्षर पटवारी

तहसीलदार की टिप्पणी:-

[Signature]
23.12.2024

हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावा जिला डी.डवाना - मुयामन
कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/ 309

आदेश

दिनांक:- 23/12/24

प्रार्थी पुकाश निवासी लिचावा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावा की रिपोर्टसंलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी

कमांक/राजस्व/धारा 136/2021/

दिनांक:-